# न्यायालयः— द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 चंदेरी,जिला अशोकनगर म०प्र० (पीठासीन अधिकारी:—साजिद मोहम्मद्)

व्यवहारवाद कमांक-73ए/2016 संस्थित दिनांक- 26.10.2015 Filling no- 235103002032015

01.	विजय पुत्र रामदयाल जाति अहिरवार आयु 40 साल		
02.	हजारी पुत्र रामदयाल जाति अहिरवार आयु 36 साल		
03.	सीताराम पुत्र रामदयाल जाति अहिरवार आयु 33 साल		
04.	राजेन्द्र पुत्र रामदयाल जाति अहिरवार आयु 30 साल		
05.	अरबिन्द पुत्र रामदयाल जाति अहिरवार आयु 26 साल		
समस्त निवासीगणः— ग्राम वार्ड न0 13 जुगयानापुरा चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0			
वादीगण			
विरूद्ध			
01.	बबलू उर्फ अशोक पुत्र कन्हैया जाति अहिरवार आयु 50 साल		
02.	भगवानदास पुत्र कन्हैया जाति अहिरवार आयु 55 साल		
03.	ग्याप्रसाद पुत्र कन्हैया जाति अहिरवार आयु 38 साल		
04.	प्रहलाद पुत्र कन्हैया जाति अहिरवार आयु 36 साल		
05.	तुलसीराम पुत्र जबरा जाति अहिरवार आयु 56 साल		
06.	मनमोहन पुत्र जबरा जाति अहिरवार आयु 51 साल		
07.	पवन पुत्र पूरन जाति अहिरवार आयु 25 साल		
08.	प्रेमबाई बेबा पत्नी पूरन जाति अहिरवार आयु 55 साल		
समस्त निवासीगण वार्ड नं० 16 हाटकापुरा तहसील चन्देरी जिला अशोकनगर म0प्र0			

	प्रतिवादीगण			
09.	मध्य प्रदेश शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला अशोकनगर			
10.	म0प्र0 शासन द्वारा श्रीमान मु0 नगर पालिका अधिकारी महोदय, नगर पालिका परिषद चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0			
	फार्मल प्रतिवादीगण			

## ----::// निर्णय //::----

## (आज दिनांक:- 22.08.2017 को घोषित किया गया)

01— यह दावा वादीगण की ओर से करबा चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क् 0 343 खेडा 1, रकवा 0.157 है0 भूमि में से हिस्सा 1/4 अर्थात 0.039 है0 भूमि (जिसे आगामी पदो में सुविधा की दृष्टि से विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा) पर स्वत्व घोषणा, उक्त भूमि पर प्रतिवादी क 0 1 लगायत 6 से कब्जा वापस दिलाये जाने एवं प्रतिवादी क 0 1 लगायत 8 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने हेतु प्रस्तुत किया है।

02— प्रकरण में यह स्वीकृत है कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी क0 1 लगायत 4 के पिता एवं प्रतिवादी क0 5 लगायत 8 तथा वादीगण के नाम दर्ज है। यह भी स्वीकृत है कि प्रतिवादी क0 1 लगायत 4 के पिता की मृत्यु हो गई है।

03— वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि कस्बा चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क0 343 खेडा 1, रकबा 0.157 है0 भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण क0 1 लगायत 8 की पारिवारिक पुस्तैनी पैत्रिक संपत्ति है जो कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण तथा प्रतिवादीगण क0 1 लगा0 4 के पिता स्व0 कन्हैया तथा प्रतिवादीगण क0 5 लगायत 8 के नाम पर राजस्व रिकार्ड में भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है। विवादग्रस्त भूमि का अक्श नक्शा संलग्न है जिसमें उक्त भूमि को अ, ब, स, द, ई, एफ अक्षरो से दर्शाया गया है। उक्त भूमि स्वर्गीय छत्ता के 4 लडको अंता, हीरालाल, जबरा एवं उदयजीत का 1/4, 1/4 हिस्सा था। इसी अनुसार स्व0 अन्ता, स्व0 हीरालाल, स्व0 जबरा, स्व0 उदयजीत के वारिसान वादग्रस्त भूमि में हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। उदयजीत ने अपने हिस्से की 1/4 अर्थात 0.039 है0 भूमि का रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 12.06.96 को वादीगण के हित में संपादित किया था। इस तरह वादीगण

वादगस्त भूमि में हिस्सा 1/4 भूमि के स्वत्वधारी है। वसीयतनामा हो जाने के कारण उदयजीत के पुत्र रामदयाल एवं सिरनाम का वादग्रस्त भूमि में कोई स्वत्व शेष नहीं है। यही भूमि विवादग्रस्त भूमि है जिसे आगामी पदो में विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। उक्त विवादग्रस्त भूमि का प्रतिवादी क0 1 लगायत 4 के नाम अभी तक कोई नामातरण नहीं हुआ है तथा प्रतिवादी क0 7 राजस्व रिकार्ड में आज भी नाबालिक दर्ज है।

04- प्रतिवादी क0 1 व 4 के पिता जब जीवित थे उस समय पंचो के बीच वादग्रस्त भूमि का बाहरी बटवारा कन्हैया एवं भूमि के शेष हिस्सेदारो ने स्वयं मौके पर जाकर करां लिया था जिसमें वादग्रस्त भूमि के पश्चिम दिशा की ओर पहला हिस्सा तुलसीराम का इसके वाद रामदयाल अर्थात वादीगण का तिसरा हिस्सा कन्हैया का एवं चौथा हिस्सा पवन एवं प्रेमबाई का था। प्रतिवादी क0 1 तथा 5 के मन में बदयांती आ गई है।उक्त लोगो ने जबरन एवं शक्ति के बल पर अपने हिस्से से अधिक रकबे पर कब्जा कर मकान बना लिया है। दिनांक 10.10.2015 को जब वादीगण वादग्रस्त भूमि पर पहुँचे तो प्रतिवादी क0 1 बबलू मकान का निर्माण करते हुए मिला। प्रतिवादी क0 1 को मकान का निर्माण करने से रोका तो वह नहीं मान रहा है तथा वह बिना शासकीय बटवारा किये ही अपने हिस्से से अधिक रकबे पर निर्माण कार्यकरने पर अमादा है। वाद कारण दिनांक 10.10.15 को प्रतिवादी क0 1 एवं 5 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर उनके रकबे से अधिक भाग पर तथा भूमि का शासकीय बटवारा कराये बिना ही मकान निर्माण करने एवं अवैधानिक तरीके से छज्जो एवं टोडो का निर्माण करने तथा रोकने पर वादीगण के स्वत्वो को नकारने के कारण कस्बा चंदेरी में उत्पन्न हुआ है। वादीगण द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर वादग्रस्त भूमि स्थित कस्बा चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क0 343 खेडा 1, रकवा 0.157 है0 भूमि में से हिस्सा 1/4 अर्थात 0.039 है0 भूमि पर स्वत्व घोषणा, उक्त भूमि पर प्रतिवादी क0 1 लगायत 6 से कब्जा वापस दिलाये जाने एवं प्रतिवादी क0 1 लगायत 8 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने हेत् प्रस्तुत किया है।

05— प्रतिवादी क0 1 लगायत 8 की ओर से स्वीकृत तथ्यों के अलावा जबाब दावें में व्यक्त किया कि सभी वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपसी बटवारे अनुसार अपने—अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। प्रतिवादी क0 1 लगायत 4 द्वारा कोई नवीन कार्य नहीं किया गया है। मकान पिता के समय बटवारे में प्राप्त भूमि पर ही निर्माण कार्य किया गया है तथा प्रतिवादीगण द्वारा किसी अन्य की भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया गया है। वादीगण को प्राप्त भूमि रिक्त पड़ी हुई है। प्रतिवादी क0 1 लगायत 4 द्वारा उनकी भूमि पर ही छज्जे एवं टोडे लगाए गए है जो कि उन्हें बटवारे में प्राप्त हुए है। वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध किसी भी दिनांक को वाद कारण उत्पन्न नहीं होता। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को परेशान करने के उद्देश्य से पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किये बिना एवं अवधि बाह्य दावा प्रस्तुत किया है जिसे निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

- 06— प्रकरण में प्रतिवादी क. 9 म.प्र.शासन एवं प्रतिवादी क0 10 मुख्य नगर पालिका अधिकारी चंदेरी को औपचारिक पक्षकार बनाया गया है तथा उनके विरुद्ध कोई सहायता नहीं चाही है। प्रतिवादी क. 9 एवं 10 को समंस की तामीली के उपरांत अनुपस्थित रहने के परिणामस्वरूप उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। दिनांक 07.01.2017 को प्रतिवादी क0 1 लगायत 8 के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
- 07— उभयपक्ष के अभिवचन व प्रस्तुत दस्तावेंजो के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्नों की विरचना की गई जिनके निष्कर्ष विवेचना उपरान्त उनके सम्मुख अंकित किये गये :—

1.	क्या वादीगण करबा चंदेरी जिला अशोकनगर में स्थित भूमि सर्वे	
	कमांक 343 रकबा 0.157 हैक्टेयर भूमि में से हिस्सा 1/4 अर्थात् 0.039 हेक्टेयर भूमि (तुलसीराम से लगकर) के स्वत्वधारी है ?	
2	क्या वादीगण वादग्रस्त भूमि का रिक्त आधिपत्य प्रतिवादी क0 1 लगायत 6 से प्राप्त करने के अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं
3	क्या वादी ने प्रस्तुत वाद का उचित मूल्यांकन कर उस पर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया है ?	प्रमाणित
4	क्या प्रस्तुत वाद अवधि बाह्य है ?	प्रमाणित नहीं
5.	सहायता एवं व्यय ?	पैरा 15 के अनुसार दावा निरस्त

### ----::<u>//सकारण निष्कर्ष//</u>::-----वाद प्रश्न क0 1 व 2 :-

08— वाद प्रश्न क0 1 व 2 को साबित करने का भार वादीगण में निहित है। वादीगण के अभिवचन अनुसार करबा चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क0 343 खेडा 1 रकवा 0.157 है0 भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण क0 1 लगायत 8 की पारिवारिक पुस्तैनी पैत्रिक संपत्ति है जो कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण तथा प्रतिवादीगण क0 1 लगा0 4 के पिता स्व0 कन्हैया तथा प्रतिवादीगण क0 5 लगायत 8 के नाम पर राजस्व रिकार्ड में भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है। उक्त भूमि स्वर्गीय छत्ता के 4 लडको अंता, हीरालाल, जबरा एवं उदयजीत का 1/4, 1/4 हिस्सा था। इसी अनुसार स्व0 अन्ता, स्व0 हीरालाल, स्व0 जबरा, स्व0 उदयजीत के वारिसान वादग्रस्त भूमि में हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। उदयजीत ने अपने हिस्से की 1/4

अर्थात 0.039 है0 भूमि का रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 12.06.96 को वादीगण के हित में संपादित किया था। इस तरह वादीगण वादगस्त भूमि में हिस्सा 1/4 भूमि के स्वत्वधारी है। वसीयतनामा हो जाने के कारण उदयजीत के पुत्र रामदयाल एवं सिरनाम का वादग्रस्त भूमि में कोई स्वत्व शेष नहीं है। जबकि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जबाब दावे में उक्त बात को अस्वीकार किया गया है।

- 09— वादी की ओर से न्यायालय के समक्ष साक्षी कमलेश, रामदयाल, हजारीलाल, के कथन कराए गये तथा वादी हजारी लाल ने दावे के समर्थन में अक्श की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.1, खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 2 लगायत 7, नगर निरीक्षक चंदेरी को दिये गये आवेदन की छायाप्रति, मुख्य नगर पालिका अधिकारी चंदेरी को दिये गये आवेदन की छायाप्रति एवं रैयत रसीद बही मूल प्र.पी. 8 प्रस्तुत की है। खसरा सम्वत् 2051 से 2055 प्र.पी.2 का अवलोकन करने से सर्वे नम्बर 343 रकबा 0. 157 खेडा 1 पवन पुत्र पूरन नाबालिक सरपस्त मां प्रेमबाई पत्नी पूरन हिस्सा 1/4, उदयजीत पुत्र छत्ता हिस्सा 1/4, कन्हैया पुत्र अंता नाबालिक सरपरस्त हीरालाल हिस्सा 1/4, तुलसीराम, मनमोहन पुत्र जबरा व अजुद्धिया बेबा जबरा हिस्सा 1/4 के नाम होने का उल्लेख है जिनमें से संशोधिक प्रविष्टि प्र.पी.2 के अनुसार तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक 30.09.97 से उदयजीत के वजाय विजय हजारी, सीताराम, राजेन्द्र, अरविन्द पुत्रगण रामचरण हिस्सा 1/4 के नाम नामातरण स्वीकृत किया जाना दर्शित है। शेष खसरा प्रविष्टि प्र.पी. 3 लगायत 7 में भी उक्तानुसार प्रविष्टि होने का उल्लेख है।
- 10— वादीगण ने उनके अभिवचन में यह व्यक्त किया कि विवादग्रस्त भूमि उन्हें उदयजीत ने उसका हिस्सा 1/4 अर्थात 0.039 है0 भूमि रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 12.06.96 को निष्पादित की थी, किन्तु वादीगण की ओर से उक्त रजिस्टर्ड वसीयतनामा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा वादीगण स्वामित्व का मुख्य आधार उक्त रजिस्टर्ड वसीयतनामा होना लेख किया है।भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 91 के अनुसार, जबिक किसी संविदा के या अनुदान के या संपत्ति के किसी अन्य व्ययन के निबंधन दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिये गये हो तब, उन सब दशाओं में, जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित है कि कोई बात दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाये, ऐसे संविदा, अनुदान या सम्पत्ति के अन्य व्ययन के निबंधनों के या ऐसा वाद के साबित किये जाने के स्वयं उस दस्तावेज के सिवाय, या उन दशाओं में जिनमें एत्सिमपूर्व अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन द्वितीय साक्ष्य ग्राह्य है उनकी अंतवस्तु के द्वितीय साक्ष्य के सिवाय, कोई भी साक्ष्य नहीं दी जायेगी।
- 11— अतः ऐसी भूमि के व्ययन के लिये उक्त रिजस्टर्ड वसीयतनामा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जो कि वादी के अनुसार हुआ है, परन्तु यदि उक्त दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं है तो उक्त दस्तावेज के माध्यम से हुये समव्यवहार के संबंध में मौखिक साक्ष्य ग्राहय नहीं की जा सकती है, इसके अलावा वादीगण का यह भी

अभिवचन है कि विवादग्रस्त भूमि पुस्तैनी भूमि है। उक्त भूमि वादीगण के पूवर्जों को कैसे प्राप्त हुई अर्थात विवादग्रस्त भूमि के स्वामित्व का मुख्य आधार क्या है यह भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा वादीगण की ओर से प्रस्तुत मूल रैयद रसीद बही प्र.पी.8 किस अधिकारी द्वारा और किस संबंध में जारी की गई थी इसका भी कोई उल्लेख उक्त दस्तावेज में नहीं है जिससे उक्त दस्तावेज से भी वादीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत खसरा पांचशाला की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 2 लगायत 7 प्रस्तुत की है। **मूलशंकर बनाम स्टेट ऑफ गुजरात ए.आई.आर 1994** एससी पेज 1496 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजस्व संबंधी दस्तावेजो को स्वत्व संबंधी प्रलेख नहीं माना है। विष्णुशरण व अन्य बनाम अयोध्या बाई 2003 म0प्र0 लॉ जनरल पेज 25 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रकट किया गया है कि वादी को ठोस साक्ष्य प्रस्तूत करके अपना हक साबित करना होगा। खसरा प्रविष्टियों से केवल उसकी यर्थाता का उपधारणात्म मूल है तथा खसरा प्रविष्टियों के आधार पर हक उपधारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह संपोषक साक्ष्य है। भले ही प्रतिवादीगण अपनी प्रतिरक्षा प्रमाणित करने में सफल नहीं हुए है किन्तु सर्वमान्य सिद्धांत है कि प्रतिवादी की किसी दुर्वलता के आधार पर वादी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वादी को स्वयं अपने बल पर दावा प्रमाणित होता है। वादीगण विवादग्रस्त भूमि के संबंध में अपना स्वामित्व प्रमाणित करने में असफल रहे है एवं यह प्रमाणित करने में भी असफल रहे है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क0 1 लगायत 6 का आधिपत्य है। ऐसी स्थिति में वादीगण प्रतिवादी क0 1 लगायत 6 से विवादग्रस्त भूमि का रिक्त आधिपत्य भी प्राप्त करने के हकदार नहीं है। उपरोक्तानुसार किये गये विशलेषण के आधार पर वाद प्रश्न क0 1 व 2 का निराकरण **प्रमाणित नहीं** के रूप में किया जाता है।

#### वाद प्रश्न क0 3:-

13— प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावे में यह अभिवचन किया गया है कि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का उचित मुल्यांकन कर विधि अनुसार न्यायालय शुल्क अदा किया जाना चाहिए था जो वादीगण द्वारा नहीं किया गया है। परन्तु इस संबंध में उभयपक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। वादी द्वारा वर्तमान वाद स्वत्व घोषणा, आधिपत्य प्राप्त किये जाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा वाद का मूल्यांकन 1,00000/— रूपये कायम किया जाकर स्वतत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु एकत्र न्यायालय शुल्क 600/— किया गया है। न्यायालय शुल्क के प्रयोजन से आधापत्य प्राप्ति हेतु वादी द्वारा वाद का मुल्यांकन धारा 7(V) न्यायालय शुल्क अधिनियम के अनुसार किया जाना आवश्यक है तथा क्षेत्रााधिकार के प्रयोजन से धारा 3 वादमूल्यांकन अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये

नियमानुसार भी वादी द्वारा भू राजस्व के 20 गुना मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। वादी द्वारा मूलताः उक्तानुसार मूल्यांकन कर न्यायालय शुल्क अदा किया गया है। अतः यह प्रमाणि पाया जाता है कि वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया गया है।

#### वाद प्रश्न क0 4:-

14— प्रतिवादीगण क0 1 लगायत 6 की ओर से उनके जबाब दावे के पैरा 7 में लेख किया कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद अविध बाह्य है। जबिक वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावे के पैरा 7 में वाद कारण दिनांक 10.10.2015 को होना व्यक्त किया है। घोषणा हेतु वाद परिसीमा अधिनियम के सूची क्रमांक 58 के अनुसार वाद कारण दिनांक से 03 वर्ष के भीतर लाया जा सकता है और वादी द्वारा उक्त समयाविध मे ही अर्थात दिनांक 17.10.15 को ही वाद न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था जिससे उक्त वाद समयाविध मे प्रस्तुत किया गया है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 4 का निराकरण 'प्रमाणित नहीं'' के रूप में किया जाता है।

# वादप्रश्न क0 5:-

- 15— उपरोक्तानुसार किये गये विधिगत एवं तथ्यगत विशलेषण के उपरांत अभिप्राप्त निष्कर्ष के आधार पर वादीगण अपना दावा अधिसंभाव्य रूप से प्रमाणित करने में असफल रहे है। फलतः वादीगण का वाद निरस्त कर निम्न आशय की डिकी पारित की जाती है।
  - 1. वाद निरस्त किया जाता है।
- 16— वादीगण स्वयं का एवं प्रतिवादीगण का वाद व्यय वहन करेगा।
- 17— अभिभाषक शुल्क की राशि भुगतान के प्रमाणीकरण के आदेश नियम 523 म0प्र0 सिविल न्यायालय नियमानुसार संगणित की जावे या जो वास्तविक भुगतान किया गया हो या जो न्यून हो व्यय मे जोड़ा जावे।

तद्नुसार आज्ञप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर मेरे निर्देशन में टंकित किया गया। हस्ताक्षरित, दिनांकित किया गया।

साजिद मोहम्मद द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 वाद प्रश्न क0 2, 3, 4 एक दुसरे से संबंधित होने व साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उनका एक साथ निराकरण किया जा रहा है।